

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक 3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

e-Mail: highereducation.cg.gmail.com, Website: highereducation.cg.gov.in

नवा रायपुर, दिनांक 23 /02/202

पत्र क्र.339/निस/आउशि/2021

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था।

संदर्भ:- छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नया रायपुर दिनांक 22.02.2021

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राज्य शासन द्वारा फरवरी 2021 से जुलाई 2021 तक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पूर्व स्वीकृत मापदंडों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

अतः उक्त पत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देश अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(चंदन संजय त्रिपाठी)माप्रसे
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक 23 /02/202

पृ.पत्र क्र.340/निस/आउशि/2021

प्रतिलिपि:-

कुलसचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, छ0ग0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

email : higher-education@cg.gov.in

—0000—

क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.02.2021
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था।

राज्य शासन, फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पूर्व स्वीकृत मापदण्डों एवं दरों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था करने की सहमति प्रदान करता है।

2/ जिन महाविद्यालयों में विगत सत्रों में कार्यरत रह चुके अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा कोई निर्देश दिया गया है, उन अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुये न्यायालय निर्देशों के अधीन की जाये।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 216/आर-210/ब-3/4, दिनांक 22.02.2021 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार

(जी.एल. सांकला)
उप सचिव

पृ. क्रमांक एफ 3-32/2020/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.02.2021
प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छ.ग., मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर,
02. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
03. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर जावक क्रमांक 216/आर-210/ब-3/4, दिनांक 22.02.202107. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर,

04. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर,
 05. समस्त संभागीय आयुक्त, छ.ग.,
 06. समस्त कलेक्टर, जिला-.....
 07. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंविकापुर/जगदलपुर
/रायपुर/दुर्ग (छ.ग.)
 08. समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय.....
 09. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छ.ग.,
 10. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 11. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 12. आदेश फोल्डर,
- की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा
विभाग